झारखण्ड विधान सभा

अल्पसूचित प्रश्नों की सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा
पंचदश (बजट) सत्र
वर्ग-03

निम्नलिखित अल्प-सूचित प्रश्न,बुधवार, दिनांक- 10 माघ,1940 (श0) / 30 जनवरी,2019 (ई0) को झारखण्ड विधान-सभा के आदेश-पत्र पर अंकित रहेंगे :-

क्र0 सं0	विभागों को भेजी गई सां0सं0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
64.	अ0सू0-11	श्री राज सिन्हा	कचरा प्लॉट आरम्भ करना।	नगर विकास एवं आवास	23.01.19
65.	अ0सू0-08	श्री प्रदीप यादव	जाँच कराना।	पेयजल एवं स्वच्छता	16.01.19
66.	अ0सू0-13	श्री राधाकृष्ण किशोर	पेयजल उपलब्ध कराना।	पेयजल एवं स्वच्छता	25.01.19
67	अ0सू0-12	श्री राधाकृष्ण किशोर	गुणवत्ता की जाँच कराना।	ग्रामीण विकास	25.01.19

राँची,
दिनांक- 30 जनवरी,2019 (ई0)।

महेन्द्र प्रसाद
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या-प्रश्न-05/2015-937/वि0स0,राँची,दिनांक- 28/01/19

प्रतिलिपिः-झारखण्ड विधान-सभा के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रिगण/ मुख्य सचिव तथा माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ प्रेषित।

गिरवरधारी 28/01/19

(गिरवरधारी प्रसाद)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या-प्रश्न-05/2015-937/वि0स0,राँची,दिनांक- 28/01/19

प्रतिलिपिः-माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव /आप्त सचिव सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय को सूचनार्थ प्रेषित।

गिरवरधारी 28/01/19

उप सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या-प्रश्न-05/2015-937/वि0स0,राँची,दिनांक- 28/01/19

प्रतिलिपिः-कार्यवाही शाखा,वेबसाईट शाखा, ऑनलाईन शाखा एवं आश्वासन शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

गिरवरधारी 28/01/19

उप सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा,राँची।

अरूण

64

श्री राज सिन्हा, मा० स०वि०स० द्वारा दिनांक 30.01.2019 को पूछे जाने वाले अल्प सूचित प्रश्न संख्या अ० सू० – 11 का उत्तर :

स०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि, राज्य के सभी नगर निगम, नगर निकाय नगर परिषदों में ठोस कचरा प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा योजना बनायी गई है	स्वीकारात्मक ।
2	क्या यह बात सही है कि, राज्य के सभी नगर निगम, नगर निकाय नगर परिषदों में ठोस कचरा प्रबंधन के लिए प्लांट स्थापित हो चुका है	आंशिक स्वीकारात्मक ।
3	यदि उपर्युक्त खंडो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार, इस योजना को शीघ्र आरम्भ कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	सभी नगर निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्लांट आरम्भ करने का निम्नवत लक्ष्य रखा गया है : I. गिरिडीह, देवघर, बुंडू, लातेहार, चाईबासा, चाकुलिया, चिरकुंडा, गढ़वा, गोड्डा, जामताड़ा, मिहिजाम, पाकुड़, साहिबगंज एवं राजमहल क्लस्टर, सरायकेला, झुमरीतिलैया एवं कोडरमा क्लस्टर, खुंटी, चतरा, चक्रधरपुर, धनबाद एवं राँची में एजेंसी का चयन किया जा चूका है एवं कार्य प्रगति पर है। धनबाद एवं राँची को छोड़कर शेष नगर निकायों में अक्टूबर 2019 तक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्लांट निर्माण पूर्ण कर प्रारंभ करने का लक्ष्य रखा गया है। धनबाद एवं राँची का मार्च 2020 तक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्लांट का निर्माण पूरा किया जायगा। II. चास एवं हजारीबाग में एजेंसी का चयन प्रक्रियाधीन है। III. आदित्यपुर, जमशेदपुर, नानगो, जुगसलाई एवं कपाली क्लस्टर का डी०पी०आर० का प्रशासनिक स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। IV. सिमडेगा, लोहरदगा, मधुपुर, गुमला, फुसरो, हुसैनाबाद, रामगढ, बासुकीनाथ, मेदनीनगर, बिश्रामपुर, दुमका, मंझिआवं एवं नगर उंटारी का डी०पी०आर० बनाने का कार्य प्रक्रियाधीन है। कंडिका II, III एवं IV वर्णित निकायों में अक्टूबर 2020 तक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्लांट निर्माण पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।

झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक: SUDA/SBM/SWM/-LA-09 /2019...483 दिनांक.....29/01/19

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक-797 दिनांक – 23.01.19 के आलोक में 200 प्रतियों में प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

29.1.19

(65)

माननीय प्रदीप यादव, स०वि०स०, द्वारा दिनांक 30.01.2019 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न सं० अ0सू0–08 का उत्तर।

क्र०	क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि	श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जानेवाला उत्तर
1	2	3
1.	क्या यह बात सही है कि केन्द्र एवं राज्य सरकार के घोषणानुसार पूरा झारखण्ड निर्धारित लक्ष्य के 1 वर्ष पूर्व ही ODF घोषित हो गया है;	स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि यह घोषणा केवल कागजों पर है एवं 40 लाख बने शौचालय की उपयोगिता शून्य है;	अस्वीकारात्मक
3	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या राज्य सरकार इन बने हुए शौचालयों एवं इनकी उपयोगिता की जाँच किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराना चाहती है हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों?	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की मार्गदर्शिका के अंतर्गत कोई भी गाँव में ODF होने के उपरांत 90 दिनों के अंदर प्रथम ODF Verification किये जाने का प्रावधान है, उसके 6 माह के अंतराल में 2nd ODF Verification किये जाने का प्रावधान है। राज्य के प्रथम एवं द्वितीय ODF सत्यापन का कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा NARSS (National Annual Rural Sanitation Survey) एवं राज्य स्तर पर Sample Based 3rd Party Verification साथ ही JSLPS (Jharkhand State Livelihood Promotion Society) के माध्यम से सोशल ऑडिट सम्पन्न किये गए है। उन सभी सत्यापन के उपरान्त जो अन्य उपयोगी शौचालय का विवरण प्राप्त हुआ है उसे retrofitting के माध्यम से एवं व्यवहार परिवर्तन के माध्यम से सतत् ODF maintain करने का कार्य किया जा रहा है।

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांकः SBM(G)/वि0स0 अल्प सूचित प्रश्न संख्या–29/2019 अ0सू0–08–114 दिनांक 24.01.19.
प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा के ज्ञापांक 410 वि.स. दिनांक 16.01.2019 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/01/19
संयुक्त सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

कृ०पृ०उ०.....

ज्ञापांकः SBM(G)/वि0स0 अल्प सूचित प्रश्न संख्या–29/2019 अ0सू0–08–114 दिनांक 24.01.19,

प्रतिलिपिः सरकार के उप सचिव/अवर सचिव (प्रशाखा–5)/विधानसभा कोषांग के प्रभारी, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/01/19

संयुक्त सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

(66)

श्री राधाकृश्ण किशोर, माननीय सं0वि0 सं0 द्वारा दिनांक 30.01.2019 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न सं0 अ0सू0–13 का उत्तर।

क्र0 सं0	क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–	श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, विभागीय मंत्री द्वारा दिये जाने वाले उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की मान्यता के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर जल की आवश्यकता निर्धारित किया है, जबकि झारखण्ड राज्य में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 25 लीटर ही जल की उपलब्धता है।	आंशिक स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पाईप लाईन के द्वारा 26.40 प्रतिशत ही जल उपलब्धता कराया जा रहा है।	अस्वीकारात्मक। झारखण्ड राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में विगत चार वर्शो में विभिन्न बहु/लघु ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं द्वारा आच्छादन 12 प्रतिशत से बढ़कर 32 प्रतिशत किया गया है।
3	यदि उपरोक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार झारखण्ड राज्य में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर शुद्ध जल तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पाईप लाईन द्वारा शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु कौन सी योजना बनाने का विचार रखती है, यदि हॉ तो कब तक, नही तो क्यों?	विगत चार वर्षो में राज्य योजना, एन0 आर0 डी0 डब्लू0 पी0, डी0एम0एफ0टी0 कार्यक्रम के तहत् राज्य भर में कुल 350 अदद वृहद पाईप जलापूर्ति योजना पर निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया जिसमें 113 अदद योजनाएँ पूर्ण की गई है। इन योजनाओं के पूरा होने पर अद्यतन ग्रामीण आबादी का आच्छादन 32 प्रतिशत हो गया है। वर्ष 2020 तक आच्छादन 50 प्रतिशत करने की योजना है।

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक–8/वि0स0(अ0सू0)–14/2019 पेय0 469 दिनांक 29/1/19

प्रतिलिपि –अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, रांची को उनके ज्ञाप सं0–914 वि0स0 दिनांक 25.01.2019 के क्रम में 200 प्रतियों में सूचनाा एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29.1.19
संयुक्त सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक–8/वि0स0(अ0सू0)–14/2019 पेय0 469 दिनांक 29/1/19

प्रतिलिपि –सरकार के उप सचिव/अवर सचिव (प्र0–5)/विधानसभा कोषांग के प्रभारी, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29.1.19
संयुक्त सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

67

श्री राधाकृष्ण किशोर, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–30.01.19 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या अ0सू0–12 की उत्तर सामग्री :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री राधाकृष्ण किशोर, माननीय स0वि0स0	**श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)**
1– क्या यह बात सही है कि वर्ष–2015 से 31 दिसम्बर, 2018 तक ग्रामीण कार्य मामले के द्वारा राज्य संपोषित योजना अंतर्गत लगभग 7000 कि0मी0 ग्रामीण सड़कों का निर्माण कराया गया है;	स्वीकारात्मक
2– यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार बताएगी कि खंड–1 में वर्णित पथों के गुणवत्ता की देखरेख के लिए 3rd पार्टी के द्वारा निरीक्षण की व्यवस्था कराना चाहती है;	राज्य सम्पोषित योजना से निर्मित/निर्माणाधीन पथों की गुणवत्ता की जाँच हेतु विभाग में राज्य स्तर पर धावा दल गठित किया गया है, जिसके माध्यम से समय–समय पर गुणवत्ता की जाँच करायी जाती है।

झारखण्ड सरकार

ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक :– 05 (वि0स0–12)–80/2019 ग्रा0वि0वि0(ग्रा0का0मा0)......319..............राँची, दिनांक 29.01.19

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा0वि0स0 को 5 प्रतियों में उनके पत्रांक–915, दिनांक–25.01.19 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/01/19

उप सचिव (तकनीकी)।

ज्ञापांक :– 05 (वि0स0–12)–80/2019 ग्रा0वि0वि0(ग्रा0का0मा0)......319..............राँची, दिनांक 29.01.19

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/ माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग झारखण्ड के आप्त सचिव/ माननीय विभागीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड/ प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय (निगरानी) विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

29/01/19

उप सचिव (तकनीकी)।

ज्ञापांक :– 05 (वि0स0–12)–80/2019 ग्रा0वि0वि0(ग्रा0का0मा0).......319..............राँची, दिनांक 29.01.19

प्रतिलिपि– विधान मण्डलीय प्रशाखा, ग्रामीण विकास विभाग/प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

29/01/19

उप सचिव (तकनीकी)।